न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 39/2023 बउनवानी रईस मोहम्मद बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर स0म
पुत्र श्री लियाकत अली निवासी 15/368, साहूनगर सीमेन्ट फैक्ट्री स0मा0
GCMS No-2023/60

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
19.7.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 10.5.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:– – दिनांक 5.5.2023 को ऑटो स्टेण्ड के लिए भूमि चिन्हित करवाने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है जिसके संबंध में निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध करवावे:– 1. उक्त प्रार्थना पत्र पर की गयी प्रतिदिन की कार्यवाही, अर्थात दैनिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करावे। 2. ऑटो स्टेण्ड के लिए स्थान निर्धारित करने की कार्यवाही कब तक पूर्ण होगी तथा ऑटो चालकों के लिए स्थान कब तक प्राप्त होगा। कृपया जानकारी उपलब्ध करावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर स0मा0 को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक:13(2)(95)/सूकाअ/2023/2379 दिनांक 18.07.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 10.5.2023 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 2 पर चाही गयी सूचना से संबंधित प्रार्थना पत्र दिनांक 5.5.2023 को लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 2139–41 दिनांक 14.6.2023 से अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अति0 पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर के अन्तरित किया गया था इसके पश्चात अति0 पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा अवगत कराया कि उक्त प्रार्थना यातायात शाखा जिला सवाईमाधोपुर के पत्रांक के पत्रांक 133 दिनांक 11.7.2023 से आयुक्त नगर परिषद सवाईमाधोपुर को अन्तरित किया जा चुका है। इस प्रकार चाही गयी सूचना का संबंध में आयुक्त नगर परिषद सवाईमाधोपुर के कार्यालय से होने के कारण लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर के कार्यालय से सूचना उपलब्ध करावाया जाना सम्भव नही है। अतःअपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 10.5.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 2 मे चाही गयी सूचना का संबंध मे आयुक्त नगर परिषद सवाईमाधोपुर से है तथा आयुक्त नगर परिषद के विरुद्ध प्रथम अपील सुनवायी का अधिकार अध्यक्ष नगर परिषद सवाईमाधोपुर को प्राप्त है। अतः अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में प्रथम अपील अध्यक्ष नगर परिषद सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली बाद शामिल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.12.19 11:39:42 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner